हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग
******

संख्याः टी.पी.टी.—एफ (6)—1/2021—II   तारीखः शिमला—171002,   01—01—2025.

<u>अधिसूचना</u>

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0—एफ (6)—1/2021 तारीख 09—02—2024, राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में तारीख 16—02—2024 को प्रकाशित के आंशिक उपान्तरण में तथा हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 14 की उप—धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर यान कर (टोकन/पथ कर, विशेष पथ कर) पर एकमुश्त अधित्यजन प्रदान करने के साथ; साथ ही पुराने यान जो रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपिंग सुविधा (आर0वी0एस0एफ0) पर स्क्रैप किए जाएंगे, के लिए सम्बन्धित ब्याज और शास्तियों में एकमुश्त अधित्यजन प्रदान करने की अवधि को बढ़ाते हैं जैसा कि यान स्वामियों ने मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अधीन अपने पुराने यानों को स्क्रैप करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विकल्प चुना था।

यह अधिसूचना, हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च, 2026 तक के लिए विधिमान्य होगी।

आदेशानुसार,

(आर. डी. नजीम)
प्रधान सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(An Authoritative English Text of this department Notification No. TPT-F(6)-1/2021-II dated **__01-01-2025__** as required under article 348 (3) of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Transport
*****

No. TPT-F(6)-1/2021-II Dated:Shimla-171002, the 01-01-2025.

NOTIFICATION

In partial modification of this department Notification No. TPT-F(6)-1/2021 dated 09-02-2024, published in Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh on dated 16-02-2024 and in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 14 of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to extend the period of one-time waiver of Motor Vehicle Tax (Token/Road tax, Special Road Tax), as well as a one-time waiver of associated interest and penalties for old vehicles that will be scrapped at Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF), as opted by vehicle owners to encourage them to scrap their old vehicles under Motor Vehicles (Registration and functions of Vehicles Scrapping Facility) Rules, 2021.

This notification shall be valid only upto 31st March, 2026.

By Order

(R.D. Nazeem)
Principal Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh